

FORM No. III


फर्द अहकाम
(नियम 26)

य सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

सी.ता.प. बनाम ... श्री.पि.धा.ी. त.ह.सी.ल.धा.।. खण्डेला.....

अ. धा. 251(क) RTI मुकदमा नं. ... 66 ... सन् 2019
2019

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
<p>वकील डा.पी. सी. ए.व.ता. विजागिणी ने हाजिर अहकाम हीका अ. धा. 251(क) RTI पेश किया। अर्थात फा. दर्ज लिस्ट किया जाये। अर्थात की तलबी जी.धे. समन की जाका फा.वली दिनांक 24/7/19 को पेश हो।</p>	<p>2681 11/7/2019</p>
<p>29/7/19 पत्रावली पेश हुई। वकालत उप./ अनुपस्थित/पारसीय अधिकारी दौरे पर/अप. कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्ण कार. अनुसार आईन्दा दिनांक 29/7/19 को पेश हो।</p>	
<p>29/11/19 पत्रावली पेश हुई। वकालत उप./ अनुपस्थित/पारसीय अधिकारी दौरे पर/अप. कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्ण कार. अनुसार आईन्दा दिनांक 29/11/19 को पेश हो।</p>	
<p>6/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील डा.पी. सी. ए.व.ता. विजागिणी ने हाजिर अहकाम हीका अ. धा. 251(क) RTI पेश किया। अर्थात फा. दर्ज लिस्ट किया जाये। अर्थात की तलबी जी.धे. समन की जाका फा.वली दिनांक 24/7/19 को पेश हो।</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
6.12.19	<p>पत्रावली आज निर्णय हेतु पेश हुयी। पक्षी की कहल के वरगों पर गौर किया गया। पक्षी द्वारा ख.नं. 1254, 1261 व 1263 सीवायटाक भूमियों में स. रास्ता स्वीकृति का अनुरोध चाहा है।</p> <p>वहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 1254 बरसाती नाले के रूप में उपयोग में आ रहा है।</p> <p>पक्षी का आग्रह सीवायटाक भूमि में रास्ते में कम आने वाली भूमि के एवज में अपनी खातेदारी भूमि देम का प्रस्ताव दिया है।</p> <p>बरसाती नाले की भूमि व सीवायटाक भूमि स. खातेदारी भूमि का विनिमय करते हुये रास्ता स्वीकृति की आधीकारिता इस न्यायालय को नहीं है।</p> <p>अतः पक्षी पक्षीनापत्र 251(क) RTA पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जा रहा है।</p> <p>निर्णय आज दि. 6.12.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (प्रकाश सिंह) 6.12.19. </p>

रि. 6